



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122021-231629
CG-DL-E-06122021-231629

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4649]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2021/अग्रहायण 15, 1943

No. 4649]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2021/AGRAHAYANA 15, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5020(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 के साथ पठित धारा 14 के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता व्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1072 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ii) की सारणी 1.2 के स्तंभ 2 में, "1145" अंकों के स्थान पर "1082" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/3/2021-ईसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1072 (अ) में तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2021

S.O. 5020(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 14 read with section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) dated the 23rd April, 2015 vide number S.O. 1072(E), namely: -

In the said notification, in paragraph 2, in sub-paragraph (1), in clause (ii), in table 1.2, in column 2, for figures “1145”, the figures “1082” shall be substituted.

[F. No. 10/3/2021-EC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 23rd April, 2015 vide number S.O. 1072(E).